संख्या-62/2018/2419/33-3-2018-118/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 जुलाई, 2018

विषय- भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) तथा वृहत स्वच्छता अभियान के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्र एजेन्सी के माध्यम से 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें गांवो की स्वच्छता स्थिति का संख्यात्मक एवं गुणात्मक आंकलन कर जनपदों की रैंकिग की जायेगी। जनपदों की रैंकिंग स्वच्छता के मानकों यथा सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण, स्थानीय नागरिकों का स्वच्छता के प्रति नजरिया एवं सुधार के लिये उनके सुझावों पर आधारित होगा। शीर्ष स्थान पाने वाले जनपदों को 02 अक्टूबर, 2018 को सम्मानित किया जायेगा। इस सर्वेक्षण की रणनीति, प्रक्रिया एवं मानको का विवरण निम्नवत् है-

1. रणनीति-

इस सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष निरीक्षण (डायरेक्ट आब्जरवेशन) के लिये 30 प्रतिशत वेटेज, नागरिकों द्वारा फीडबैक पर 35 प्रतिशत वेटेज एवं सर्विस लेवल प्रगति के लिये 35 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा। स्वच्छता अभियान को जन-आन्दोलन के रूप में चलाया जायेगा। उसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार व आई0ई0सी0 गतिविधियां संचालित की जायेगी।

2. सैम्पलिंग की प्रक्रिया-

इस सर्वेक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 750 ग्रामों और 3750 सार्वजनिक स्थानों यथा स्कूल, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाट/बाजारों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण किया जायेगा। ग्रामों की सैम्पलिंग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 03 जुलाई, 2018 तक के आंकड़ों के आधार पर की जायेगी। 01 जनपद से औसतन 10

http://shasnadeshup.nic.in

ग्रामों का चयन किया जायेगा। सर्वप्रथम सभी राज्यों और प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत सभी जनपदों को अकारादि (**Alphabetical**) क्रम में उनके परिवारों की संख्या के साथ व्यवस्थित किया जायेगा। इसके पश्चात राज्य के सभी जनपदों को उनके परिवारों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। इसके उपरान्त समस्त ग्रामों की सैम्पलिंग जनपदों में परिवारों के संख्या के अनुपात में की जायेगी। चयनित जनपदों में से कम से कम 07 ग्रामों तथा अधिकतम 16 ग्रामों को सर्वेक्षण हेतु चयनित किया जायेगा।

3. मानक-

(क) प्रत्यक्ष निरीक्षण(डायरेक्ट आब्जरवेशन)- सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा चयनित ग्राम के निम्नलिखित स्थलों का सर्वेक्षण किया जायेगा:-

- विद्यालय
- आंगनबाड़ी केन्द्र
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- हाट-बाजार
- धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि)
- अन्य महत्वपूर्ण स्थानों

एजेन्सी द्वारा उक्त स्थलों का सर्वेक्षण कर निम्न बिन्दुओं पर उनके सम्मुख वेटेज के अनुसार आंकलन किया जायेगा:-

- शौचालय की उपलब्धता (5 प्रतिशत)
- शौचालय का उपयोग (5 प्रतिशत)
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-करकट की स्थिति (10 प्रतिशत)
- गांव में जलभराव की स्थिति (10 प्रतिशत)

(ख) नागरिकों से फीडबैक

(i) पंचायत बैठकों मे नागरिकों द्वारा बैठक- इन बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं सहित विचार-विमर्ष किया जायेगा:-

- ग्राम में सामान्य साफ-सफाई की स्थिति
- ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिये किये जा रहे उपाय
- द्रव्य अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिये किये जा रहे उपाय
- ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन में इनोवेषन

(ii) सामान्य नागरिकों से फीडबैक-समूह बैठको का आयोजन कर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सम्बन्ध में जागरूकता, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के बाद ग्राम में सामान्य साफ-सफाई में सुधार और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिये ग्राम में की गई व्यवस्था पर आंकलन किया जायेगा। वेटेज (20 प्रतिशत)

(iii) प्रबुद्ध जन से फीडबैक-इसके अन्तर्गत ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, स्वच्छाग्रही, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ए.एन.एम., आशा और स्कूल अध्यापक सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से साक्षात्कार कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के

http://shasnadeshup.nic.in

घटकों, क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान, प्रचलित तकनीक, स्थिरता (Sustainability) सम्बन्धित व्यवस्थाएं और सुधार के सुझाव पर फीडबैक प्राप्त कर आंकलन किया जायेगा।

वेटेज (10 प्रतिशत)

(iv) नागरिकों से आनलाइन फीडबैक- सर्वेक्षित ग्रामों के अतिरिक्त विकसित एप के माध्यम से जनपद के नागरिकों से आनलाइन फीडबैक प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिशत फीडबैक के आधार पर आंकलन किया जायेगा।

वेटेज (5 प्रतिशत)

(ग) सर्विस लेवल प्रगति- इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर स्टेटस के आधार पर आंकलन किया जायेगा:-

- जनपद में स्वच्छता आच्छादन का प्रतिशत (5 प्रतिशत)
- जनपद में ओ0डी0एफ0 ग्रामों का प्रतिशत (5 प्रतिशत)
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में एसेट्स (Assets) की जियो-टैगिंग (5 प्रतिशत)
- अक्रियाशील शौचालयों का क्रियाशील शौचालयों में परिवर्तन का प्रतिशत (10 प्रतिशत)
- सत्यापित ओ0डी0एफ0 ग्रामों का प्रतिशत (10 प्रतिशत)

उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभागों यथा बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समेकित बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मण्डी परिषद, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इत्यादि विभाग के अधिकारियों के साथ लांचिंग से पूर्व एक समन्वय बैठक कर कार्ययोजना तैयार कर ली जाये एवं समस्त विभागों की स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के सम्बन्ध में जिम्मेदारियां तय कर ली जायें।

4- अतः उक्त महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार निर्धारित बिन्दुओं पर समस्त आवश्यक तैयारियां कर ली जायें। दिनांक 25 जुलाई से 25 अगस्त, 2018 तक समस्त जनपदों के प्रत्येक ग्राम में एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाये तथा इसमें समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे जन आंदोलन की भावना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाये। इस कार्यक्रम में जिन बिन्दुओं पर विशेष रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं, वे **संलग्नक** में अंकित हैं।

http://shasnadeshup.nic.in

5- इस कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

(i) स्वच्छता के इस अभियान में जन-जन को जोड़ा जाये तथा प्रत्येक स्तर पर जन प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न वर्गों यथा सिविल सोसाइटी, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, उद्योगों एवं व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों आदि को सक्रियता से जोड़ा जाये।

(ii) रैंकिंग किये जाने हेतु उपरोक्त समस्त पैरामीटर्स के बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इन पैरामीटर्स में चयनित ग्रामों/जनपदों को अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें।

(iii) इस अवधि में समस्त अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील बनाया जाय। जो ग्राम ओ0डी0एफ0 घोषित किये जा चुके हैं तथा जिन शौचालयों के पूर्ण होने की प्रगति प्रेषित की गयी है, उनके बारे में पुन: निरीक्षण कर सुनिश्चित कराया जाये कि ग्राम वास्तव में ओ0डी0एफ0 हों तथा प्रगति विवरण के अनुसार शौचालय सभी प्रकार से पूर्ण एवं उपयोग की स्थिति में हों।

(iv) समस्त सार्वजनिक स्थल यथा विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाट-बाजार एवं धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में शासनादेश संख्या-1052/33-3-2018-68/2018 दिनांक 11 अप्रैल 2018 द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की प्राप्त धनराशि से विद्यालयों में चाइल्ड फ्रेन्डली शौचालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में बेबी फ्रेन्डली शौचालयों का यथा आवश्यक सुदृढीकरण/पुनरूद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाय। हाट-बाजारों में आवश्यकतानुसार अनुरक्षण एवं सफाई के लिए मंडी परिषद द्वारा भी कार्यवाही की जाये। सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी कूड़ा-करकट न पड़ा रहे।

(v) राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से ग्राम की गलियां एवं अन्य सावर्जनिक स्थलों को जल निकासी एवं जल भराव की समस्या से निराकरण कराकर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत अर्थ फिलिंग का कार्य किया जा सकता है। सम्बन्धित विभाग भी सार्वजनिक स्थलों में अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त स्थलों में जल भराव की स्थिति न हो, इस हेतु इन स्थलों, मार्गों एवं नाले-नालियों की भी विशेष सफाई सुनिश्चित की जाये।

(vi) सफाई कर्मचारियों का समूह (क्लस्टर) गठित कर ग्रामों में साफ-सफाई का अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों पर जल भराव तथा कूड़ा-करकट आदि का सुरक्षित निस्तारण 31 जुलाई, 2018 तक करा लिया जाये।

(vii) जन सामान्य को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किये जा रहे शौचालय निर्माण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाये।

6. इसकी समीक्षा नियमित रूप से राज्य स्तर, मण्डलीय स्तर एवं जनपद स्तर पर सुनिश्चित की जाय। समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह इसकी गहन

http://shasnadeshup.nic.in

समीक्षा करेंगें तथा मण्डलीय एवं जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्रामों का सघन निरीक्षण कर उपरोक्त समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। इस अभियान की अवधि में प्रगति प्रत्येक सोमवार को निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 की वेबसाइट http://panchayatiraj.up.nic.in पर अपलोड की जायेगी।

7. जिलों के लिए चयनित किये गये नोडल अधिकारी भी अपने जनपदीय भ्रमण में इन बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की समीक्षा करेंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग एवं कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त नोडल अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-62/2018/2419/33-3-2018-118/2018 दिनांक 19 जुलाई, 2018 का संलग्नक

(क) निदेशक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही-

(1) राज्य स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 एवं वृहद स्वच्छता अभियान का मा0 मंत्रिगण की उपस्थिति में औपचारिक रूप से शुभारम्भ कराना।

(2) सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग आयोजित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 में उनकी भूमिका को बताना।

(3) स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लोकप्रिय बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना तथा प्रेस-कांफ्रेंस आयोजित करके सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देना।

(4) सर्वेक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु स्थानीय हस्तियों की पहचान करके उन्हें इस सर्वेक्षण से जोड़ना।

(5) प्रेक्षकों की पहचान कर उनसे सर्वेक्षण गतिविधियों का निरीक्षण कराना।

(6) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पोस्टर, होर्डिंग डिजाइन को बनवाकर जनपद के कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं पंचायत भवनों पर प्रदर्षित कराना।

(7) राज्य स्तरीय स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा विवरण पुस्तिका छपवाकर उनको वितरित कराना।

(8) इस सर्वेक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य सम्बन्धित गतिविधियां आयोजित कराना।

(ख) जनपद स्तर पर कार्यवाही-

(1) जनपद स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 एवं वृहद स्वच्छता अभियान का मा0 प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में औपचारिक रूप से षुभारम्भ करना।

(2) सभी विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग आयोजित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 में उनकी भूमिका को बताना।

(3) स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लोकप्रिय बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना तथा प्रेस-कांफ्रेंस आयोजित करके सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देना।

(4) दृश्य-श्रव्य माध्यमों, रेडियो, स्थानीय मीडिया, स्थानीय टी0वी0 चैनल के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लोकप्रिय बनाना।

(5) सर्वेक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु स्थानीय हस्तियों की पहचान करके उन्हें इस सर्वेक्षण से जोड़ना।

(6) नवाचरण गतिविधियों के माध्यमों से स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रचार-प्रसार करना जैसे-स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली षो आदि का प्रयोग करना।

(7) स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रचार-प्रसार कराना।

(8) सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रचार-प्रसार करना।

http://shasnadeshup.nic.in

(9) जनपद के कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं पंचायत भवनों पर स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के पोस्टर लगाना, वॉल-पेन्टिंग कराना।

(10) विद्यालय के छात्र/छात्राओं के साथ जनपद स्तरीय स्वच्छता रैली का आयोजन करना।

(ग) विकास खण्ड स्तर पर कार्यवाही-

(1) ग्राम पंचायत स्तर की मीटिंग आयोजित करते हुए उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में जानकारी देना।

(2) दृश्य-श्रव्य माध्यमों, रेडियो, स्थानीय मीडिया, स्थानीय टी0वी0 चैनल के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लोकप्रिय बनाना।

(3) नवाचरण गतिविधियों के माध्यमों से स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रचार-प्रसार करना जैसे-स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो आदि का प्रयोग करना।

(4) स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रचार-प्रसार कराना।

(5) सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रचार-प्रसार करना।

(6) विकास खण्ड के कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं पंचायत भवनों पर स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के पोस्टर लगाना, वॉल-पेन्टिंग कराना।

(7) विद्यालय के छात्र/छात्राओं के साथ विकास खण्ड स्तरीय स्वच्छता रैली का आयोजन करना।

(घ)ग्राम स्तर पर कार्यवाही-

(1) वार्ड सदस्यों की मीटिंग आयोजित करते हुए उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 के बारे में जानकारी देना।

(2) स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करना एवं उनका सहयोग लेना।

(3) स्वच्छ सर्वेक्षण टीम का सहयोग करना एवं स्वच्छ सर्वेक्षण टीम को समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार आदि में सहयोग करना।

(4) विद्यालय के छात्र/छात्राओं के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण, बाल संसद की बैठकों एवं मातृ समूहों की बैठकों का आयोजन करना।

(5) स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में फीडबैक देना।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in